# INDEX

## Un-Starred Question No.45

## Listed on 09-08-2022



| S.No | Particulars | Page No |
|---|---|---|
| 1 | Assembly Un-Starred Question No 45 reply ( in English) | 1 |
| 2 | Assembly Un-Starred Question No 45 reply ( in Hindi) | 2 |

## Status of Chirag Yojana

**45. SH. BALRAJ KUNDU (Mehem):**

Will the Education Minister be pleased to state:-

a) whether it is a fact that the Government has introduced Chirag Yojana as an alternative scheme instead of 134-A; if so, the status of scheme thereof togetherwith the number of children enrolled under the said Yojana till to date alongwith the district wise details of children who got benefit under the said Yojana; and

b) the number of eligible children who have been deprived of the admission under the said Yojana togetherwith the steps taken by the Government in this regard?

**REPLY**

**SH. KANWAR PAL, EDUCATION MINISTER, HARYANA**

No Sir,

a) CHEERAG scheme is not an alternative to Rule 134A of Haryana School Education Rules, 2003. Under CHEERAG scheme, children of poor families (income <1.80 lakh per annum) are provided monthly support of Rs. 700/- (class $2^{nd}$ to $5^{th}$), Rs. 900/- (class $6^{th}$ to $8^{th}$) and Rs. 1100/- (class $9^{th}$ to $12^{th}$) for studying in private recognized schools. It is applicable only in schools.

b) Out of the 1967 application received under the CHEERAG scheme, 1881 got admission, 63 did not get admission and 23 admission forms did not received.

# चिराग योजना की स्थिति

45 **श्री बलराज कुंडू (महम):**

क्या शिक्षा मंत्री कृपया बताएंगे कि :–

(क) क्या यह तथ्य है कि 134–क के बजाए वैकल्पिक योजना के रूप में चिराग योजना को सरकार ने पेश किया है; यदि हां, तो योजना की स्थिति क्या है तथा आज तक उक्त योजना के अंतर्गत नामांकित बच्चों की संख्या कितनी है तथा उक्त योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त करने वाले बच्चों का जिलावार ब्यौरा क्या है; तथा

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत प्रवेश से वंचित किए गए पात्र बच्चों की संख्या कितनी है तथा इस संबंध में सरकार द्वारा क्या पग उठाए गए ?

**जवाब**

**श्री कंवर पाल, शिक्षा मंत्री, हरियाणा**

नहीं, श्रीमान जी।

(क) चिराग योजना हरियाणा स्कूल शिक्षा नियम, 2003–के नियम 134–क का विकल्प नही है। चिराग योजना के अंतर्गत, गरीब परिवारों के बच्चे (वार्षिक आय 1.80 लाख रूपए तक) निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में पढने के लिए कक्षा दूसरी से पांचवी– 700 रूपए, कक्षा छठी से आठवीं–900 रूपए तथा कक्षा नौवीं से बाहरवीं–1100 रूपए का मासिक समर्थन प्रदान किया जाता है। यह सिर्फ स्कूलो में लागू है।

(ख) चिराग योजना के अंतर्गत प्राप्त 1967 आवेदनों में से 1881 को प्रवेश मिला, 63 को प्रवेश नही मिला तथा 23 के प्रवेश फॉर्म प्राप्त नही हुए।